OFFICE OF THE PRINCIPAL ACOUNTANT GENERAL (A&E), HARYANA, CHANDIGARH

PRESS NOTE

FOR ATTENTION OF PENSION DISBURSING AUTHORITIES

Some of the Haryana Govt. pensioners superannuated prior to 4.3.2003 and drawing pensionary benefits from public sector banks particularly State Bank of India have brought to the notice of this office the difficulties experienced by them in getting commuted portion of pension restored after a period of 12 years or 138 months from the date of retirement or actual receipt of commutation payment whichever is later. This is despite the fact that specific mention in this regard was made in Commutation Payment Orders issued by this office.

It is clarified for the information of all the pension disbursing authorities that as per Haryana Govt. Finance Department's instructions dated 4.3.2003,

- Pensioners superannuated prior to 4.3.2003 will get their commuted portion of pension restored on attaining the age of 70 years or after 138 months of actual receipt of commutation payment whichever is later.
- Pensioners superannuated on or after 4.3.2003 will get their commuted portion of pension restored on completion of 15 years from the date of superannuation or after 15 years from the actual receipt of commutation payment whichever is later.

Sd/-
(MOHINDER SINGH)
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, चण्डीगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

पेंशन संवितरण प्राधिकारियों के ध्यानार्थ

हरियाणा सरकार के कुछ पेंशन भोगियों जो कि 04.03.2003 से पूर्व अधिवार्षिता पर सेवानिवृत हुए थे और अपने पेंशन संबंधी लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक, से आहरित कर रहे हैं, ने पेंशन के सारांशीकृत भाग को, सेवा निवृति की तिथि अथवा सारांशीकृत पेंशन भुगतान को वास्तव में प्राप्त करने की तिथि से 12 वर्ष अथवा 138 महीने की अवधि के पश्चात् जो भी बाद में हो, पुनः प्राप्त करने में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों से इस कार्यालय को अवगत कराया है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि इस कार्यालय द्वारा जारी सारांशीकरण भुगतान आदेश में इस का विशेष उल्लेख किया गया है।

पेंशन संवितरण प्राधिकारियों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के दिनांक 04.03.2003 के अनुदेशों के अनुसार :

- दिनांक 04.03.2003 से पहले अधिवार्षिता पर सेवानिवृत पेंशन भोगी अपनी पेंशन का सारांशीकृत भाग, 70 वर्ष की आयु पूरी करने अथवा सारांशीकरण भुगतान वास्तव में प्राप्त करने के 138 महीने पश्चात्, जो भी बाद में हो, पुनः प्राप्त करेंगे।
- दिनांक 04.03.2003 के पश्चात् अधिवार्षिता पर सेवानिवृत पेंशन भोगी अपनी पेंशन का सारांशीकृत भाग, अधिवार्षिता की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने पर अथवा सारांशीकरण भुगतान वास्तव में प्राप्त करने के 15 वर्ष पश्चात्, जो भी बाद में हो, पुनः प्राप्त करेंगे।

(महेन्द्र सिंह)
प्रधान महालेखाकार